

28.5.24

पत्रायली पेश। / प्राथिका व प्रथिका वकील उपस्थित नहो।
प्राथिका व उनके वकील को खा-खाट आवान लगाई
जि कोरे उपस्थित नही। अतः पत्रायली अफस पैरकी
अफस हाली में खारिज की जाती है। पत्रायली कैजल
शुमार होना नमत ले मत हो शरिखला इतर हो।

(पुनः)
सहायक कलेक्टर, सांची-
(उपखण्ड अधिकारी, सांचार)

